सरल कानूनी ज्ञान माला – 39

वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

1– कहानी–कानून की ताकत।

दिवाकर एक साल बाद गॉव लौटा था। गॉव आने का मन कई बार हुआ। लेकिन हर बार टालता रहा। जब से वकालत षुरू की, मौका ही नहीं मिला। गॉव में उसके बड़े भैया है, भाभी हैं। माता–पिता बचपन में ही नहीं रहे। भैया–भाभी ने ही पढ़ा–लिखाकर वकील बनाया। वह उन्हें माता–पिता की तरह मानता है। उनकी बहुत इज्जत करता है।

दिवाकर घर पहॅुचा तो भैया–भाभी खुषी से उछल पड़े। उसे गले से लगा लिया। प्यार से बिठाया। जल–पान कराया। फिर बातें षुरू हो गई। कुछ षहर की, कुछ गॉव की। कुछ घर की, कुछ बाहर की। बातें होते–होते षाम हो गई। भैया ने कहा–'' अच्छा दिवाकर, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं जरा गाय–बैलों को चारा–सानी कर दॅू।

इतना कहकर भैया चले गए। भाभी रसोई के काम में लग गई। अकेला होते ही उसे श्रीराम काका की याद आ गई। श्रीराम काका उसके पड़ोसी थे। बचपन में उसे अपनी गोद में खिलाया था। बहुत मानते थे उसे। सच पूछो तो उसे वकील बनाने में उन्ही का हाथ था। वे अक्सर उसके भैया से कहते थे–''इसे खूब पढ़ाओ–लिखाओ। गॉव में एक वकील होना बहुत जरूरी है।''

कई बार तो उसकी फीस भी श्रीराम काका ने भरी थी। उनका अपना लड़का तो ज्यादा पढ़–लिख नहीं था। सातवीं पढ़ने के बाद मटरगस्ती करने लगा था।

ऑगन से ही उसकी आवाज सुनकर श्रीराम काका दौड़े चले आते थे। उसे अपने गले से लगा लेते। बैठकर खूब बातें करते। उसकी पढ़ाई–लिखाई का जायजा लेते। पिछली बार काका उसे सड़क तक छोड़ने गए थे। उसे अच्छी तरह याद हैं, उनके षब्द–''दिवाकर बेटा, अब तो तू वकील बन गया है। कहीं पैसे कमाने के चक्कर में अपने काका को मत भूल जाना।''

आज श्रीराम काका क्यों नहीं आए दौड़कर। कहीं कुछ.....। नहीं–नहीं। कुछ ऐसा–वैसा होता तो भैया–भाभी जरूर बताते। उसके मन की अकुलाहट बढ़ गई। उसने भाभी

को आवाज दी। वे रसोई से बाहर आई। दिवाकर ने पूछा–''भाभी, श्रीराम काका आज क्यों नहीं आए ? घर पर नहीं हैं क्या?'' ''क्या बताऊॅ लल्ला'' भाभी बोली– ''श्रीराम काका बेचारे बहुत कश्ट में हैं और घर में नहीं रहते।''

''घर मे नहीं रहते। फिर कहॉ रहते हैं ?

''गॉव के बाहर परती जमीन है। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहते हैं। बूढ़ा षरीर जर्जर हो चुका है। उस नालायक लल्लू ने सारी जमीन–जायदाद अपने नाम करवा ली। इस उम्र में अब वे क्या करें। मजदूरी करने लायक भी नहीं रहे। अक्सर भूखे रहते हैं। कभी–कभी लल्लू अपने बेटे के हाथ बचा खुचा खाना भिजवा देता है। कभी–कभी तुम्हारे भैया चोरी–छिपे खाना दे आते हैं।''

''क्यों ? चोरी–छिपे क्यों '' दिवाकर ने पूछा।

''क्या करें। पता चलने पर लल्लू की औरत गाली देती है। लल्लू भी लड़ने पर आमादा हो जाता है।''

दिवाकर से अब और ज्यादा बर्दाष्त करना मुष्किल हो गया था। वह उठ खड़ा हुआ। भाभी ने पूछा–''क्या हुआ बेटा? कहॉ जा रहे हो?

''श्रीराम काका के पास।''

''अच्छा ठीक है। वहॉ जा रहे हो, तो थोड़ा खाना भी लेते जाओ।''

टूटी झोपड़ी में श्रीराम काका चुपचाप पड़े थे। अंदर अॅधेरा था। बाहर चॉदनी छिटक रही थी। थोड़ी–बहुत रोषनी झिर्रियों से छनकर अंदर जा रही थी। दिवाकर ने बाहर से ही आवाज दी–''काका!''

काका ने दिवाकर की आवाज फौरन पहचान ली। वे उठने की कोषिष करते हुए बोले–''अरे, दिवाकर है क्या?'' उनकी आवाज कॉप रही थी। दिवाकर अंदर पहुॅच गया। उनके पैर छुए और बगल में बैठ गया।

काका अपने आपको रोक नहीं पाए। फूट–फूटकर रो पड़े। दिवाकर ने उनके ऑसू पोछते हुए कहा–''नहीं काका, आप रोइए नहीं। अब मैं आ गया हूँ। सब ठीक हो जायेगा। मुझे भाभी ने सब कुछ बता दिया है। अब आगे आपको कोई कश्ट नहीं होने दूँगा। मैं लल्लू भैया को समझाने की कोषिष करूंगा।''

''वह कुछ नहीं समझेगा बेटा। उल्टा तुझे जलील करेगा। गाली–गलौच करेगा।''

''नहीं समझेगा तो उसे घसीट कर अदालत में ले जाऊँगा।''

''अदालत। भला अदालत इसमें क्या करेगी ''काका ने आष्चर्य से पूछा। ''दिवाकर ने कहा–''काका, अदालत इसमें बहुत कुछ कर सकती है। कोई अपने बूढ़े मॉ–बाप को यों भूखों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसके लिए बाकायदा कानून बना है।''

''क्या। इसके लिए भी कोई कानून बना है ? जरा बताओ बेटा, क्या है इस कानून में''

श्रीराम काका थोड़ा और पास खिसकते हुए बोले।

''काका, **''माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों का भरण–पोशण तथा कल्याण अधिनियम, 2007''** और **फौजदारी कार्यवाही की धारा 125** में आपको अपने लड़के से गुजारा पाने का हक है।''

''अच्छा ! इस कानून में क्या है? जरा ठीक से समझाओ बेटा'' काका ने पूछा।

दिवाकर ने बताया–"जो मॉ–बाप खुद अपना खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें अपनी औलाद से गुजारा पाने का हक है।''

''कितना गुजारा मिल सकता है?''

''यह संतान की कमाई या आमदनी पर निर्भर करता है। उसकी आमदनी और परिवार के खर्चो को देखते हुए अदालत गुजारे की राषि तय करती है।''

''यह गुजारा मिलेगा कैसे?''

''अदालत में केस करके।''

''अदालत के फैसले के बाद भी अगर कोई गुजारे की रकम न दे, तो?''

''तो उसके लिए अदालत में फिर से अर्जी देनी पड़ेगी।''

''उससे क्या होगा?''

''उससे अदालत रकम की वसूली के लिए वारंट जारी करेगी।''

''और फिर भी वह रकम न दे तो?''

''तो अदालत उसे जेल की सजा दे सकती है।''

दिवाकर की बातें सुनकर काका को बहुत सुकून मिला। वे बोले–''बेटा, तू बड़ा वकील बन गया है। आज मुझे भी कानून का एक गुर बता दिया। लेकिन .....''

''लेकिन क्या काका'', दिवाकर ने पूछा।

''क्या अपने ही लड़के को अदालत में घसीटना ठीक होगा? लोग क्या कहेंगे?'' काका ने चिंता जाहिर की।

देखो काका, इसमें लोगों की चिंता करना ठीक नही। क्या लल्लू भैया ने आपके साथ ऐसा व्यवहार करके ठीक किया? क्या उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करना गलत है या सही? क्या उन्होंने परवाह की कि लोग क्या कहेंगे? नहीं की न। फिर आप उनकी इतनी चिन्ता क्यों करतें हैं?

''लेकिन बेटा, इस उम्र में अब अदालत के चक्कर।''

''आप उसकी चिंता न करो काका'' दिवाकर ने बीच में ही टोकते हुए कहा–''मैं भी नहीं चाहता कि आपको अदालत के चक्कर काटने पड़े। पहले लल्लू भैया को समझाने की पूरी कोषिष करूॅगा। फिर भी न माने तो अदालत का रास्ता है।''

''ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो'' काका ने लम्बी सॉस छोड़ते हुए कहा।

''दूसरे दिन दिवाकर लल्लू से मिला। उसे माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों का भरण–पोशण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 और फौजदारी कार्यवाही की धारा–125 की बातें समझाई। अदालत और जेल की धमकी दी। लल्लू ने कहा–''देखो दिवाकर, मैं अदालत के चक्कर नहीं काटना चाहता। जेल की हवा भी नहीं खाना चाहता। मुझे इन चक्करों से तो दूर ही रखो।'' ये बातें हो ही रही थीं, तब तक लल्लू की पत्नी भी घर से बाहर आ गई। साथ में उसका लड़का भी था।

दिवाकर ने कहा– ''लल्लू भैया, अदालत से बचना चाहते हो, तो अपनी गलती सुधार लो। जरा सोचो तो, काका पर क्या बीत रही होगी। तुम यहॉ भरपेट खाते हो, वे वहॉ भूखे–प्यासे पड़े रहते है। तुम्हारा लड़का भी 6 साल का हो गया है। उसी के हाथ कभी–कभी बचा–खुचा खाना भिजवाते हो। वह उनकी हालत देखता–समझता है। तुम्हारा अपना लड़का अगर इसी तरह बुढ़ापे में तुम दोनों को बेसहारा छोड़ दे, तो क्या करोगे?''

''नहीं दिवाकर नही। ऐसा मत कहो। सभी मॉ–बाप चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनकी संतान उन्हें सहारा दे। हमने उन्हें बेसहारा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है।''

''तो क्या तुम काका को गुजारा देने के लिए तैयार हो?'' दिवाकर ने पूछा।

लल्लू ने कहा– ''नहीं, हम उन्हें गुजारा नहीं दे सकते।''

''क्या कहा तुमने! तुम.....'' दिवाकर को फिर गुस्सा आ गया।

लल्लू ने उसके कन्धे पर हाथ रख दिया– ''दिवाकर भाई वे मेरे पिता हैं। कोई गैर नही।'' सिर्फ गुजारे की रकम देने से मेरी गलती का सुधार नहीं होगा। बुढ़ापे में सेवा की भी तो जरूरत होती है। मैं उन्हें लेने जा रहा हूॅ। अब घर पर ही रखूॅगा। उन्हें अकेले नहीं रहने दूॅगा'' इतना कहते–कहते लल्लू रो पड़ा। लल्लू की पत्नी भी रो रही थी।

कहते हैं सुबह का भूला षाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। आईये अब जानते हैं माता–पिता के संरक्षण और भरण–पोशण के कानूनों के बारे में। वरिश्ठ नागरिको के कल्याण से जुड़ी जानकारियों के बारे में।

2. कानून क्या कहते हैं?

माता–पिता के संरक्षण और भरण–पोशण के अधिकार

प्रष्न : भरण–पोशण क्या है?

उत्तर : माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों के भोजन, कपड़ा, रहने को मकान और दवाई तथा इलाज और देखभाल की व्यवस्था भरण–पोशण कहलाता है।

प्रष्न : वरिश्ठ नागरिक किसे कहते हैं?

उत्तर : 60 साल या उससे अधिक आयु वाले स्त्री–पुरूश वरिश्ठ नागरिंक कहलाते हैं।

प्रष्न : संतान में क्या केवल लड़के आते हैं?

उत्तर : नहीं। लड़का और लड़की दोनों आते हैं। यही नहीं, लड़का–लड़की के बच्चे भी संतान कहलाते है।

प्रष्न : क्या छोटे बच्चे से भी भरण–पोशण मांगा जा सकता है।

उत्तर : नहीं। 18 साल और उससे अधिक आयु वालों से ही भरण–पोशण मांगा जा सकता है।

प्रष्न : माता–पिता से क्या मतलब है?

उत्तर : माता या पिता दोनों ही। चाहे असल माता–पिता हों, चाहे गोद लेने वाले माता–पिता हों या सौतेले पिता या माता।

प्रष्न : माता–पिता का वरिश्ठ नागरिक होना जरूरी है क्या ?

उत्तर : नहीं।

प्रष्न : यह कल्याण क्या है?

उत्तर : भरण–पोशण के अलावा वरिश्ठ नागरिक के स्वास्थ्य की देखरेख उनके मनोरंजन या मन बहलाव के लिए केन्द्र बनाना और जरूरी कई सुविधायें दिलाना कल्याण के काम कहलाते हैं।

प्रष्न : माता–पिता के भरण–पोशण के लिये क्या पहले से मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर : हां। लेकिन नये कानून में माता पिता और अधिक उम्र के लोगों को षीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है।

प्रष्न : भरण–पोशण के लिये अर्जी कहां, और कैसे लगाते हैं?

उत्तर : हर एक उपखण्ड (ब्लॉक) या अनुविभाग में एक या अधिक भरण–पोशण अधिकरण (ट्रिब्यूनल) काम करते हैं। वहां आवेदन लगा सकते हैं।

प्रष्न : अगर कोई माता पिता या वरिश्ठ नागरिक समर्थ नहीं है तो?

उत्तर : तब उसके द्वारा जिसे अधिकार दिया जाये वह आवेदन कर सकता है या कोई संगठन आवेदन कर सकता है या भरण–पोशण अधिकरण जानकारी में आने पर स्वयं भी कार्यवाही कर सकता है।

प्रष्न : क्या आपसी सुलह नहीं कराई जा सकती?

उत्तर : अधिकरण सुलह अधिकारी से सुलह कराने को कहेगा। सुलह अधिकारी आपसी भावना बनाये रखने की कोषिष करेगा। अगर षांति से समझौता हो जाता है तो अधिकरण वैसा आदेष देगा।

प्रष्न : भरण–पोशण अधिकरण कितना मासिक भत्ता दिला सकता है?

उत्तर : दस हजार रूपये तक मासिक भत्ता दिला सकता है।

प्रष्न : भरण–पोशण अधिकरण से किस पते पर संपर्क किया जा सकता है?

उत्तर : जिला कलेक्टर के कार्यालय समूह में उपखण्ड अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय और कार्यालय होता है, वहां भरण–पोशण के लिये आवेदन किया जाता है।

प्रष्न : क्या तहसील या उपखण्ड में भी आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर : हां, जिन तहसील या उपखण्ड मुख्यालयों में उपखण्ड या अनुविभागीय अधिकारी/एस.डी.ओ. (सिविल) बैठते हैं, वहां उनके न्यायालय/कार्यालय में आवेदन करना चाहिये।

प्रष्न : भरण–पोशण आवेदन–पत्र का प्रारूप क्या है?

उत्तर : राज्य सरकारें अपने नियम बना कर आवेदन प्रारूप बनाती हैं।

प्रष्न : क्या भरण–पोशण आवेदन के लिये वकील जरूरी है?

उत्तर : नहीं। लेकिन इस कानून में वकील रखने पर कोई रोक भी नहीं है।

प्रष्न : तो क्या वकील की सहायता नहीं मिलती ?

उत्तर : मिल सकती है। चूंकि सिविल जांच, आदेष और अपील भी होती है। इसलिये वकील रखना उचित रहता है।

प्रष्न : क्या मासिक भत्ते का आदेष वापस भी लिया जा सकता है या उसमें बदलाव हो सकता है?

उत्तर : हां क्यों नहीं। अगर अधिकरण को पता चले कि गलत जानकारी देकर आदेष ले लिया गया है तो या किसी बात के बारे में गलती का पता चले तब या भत्ता पाने वाले की

परिस्थिति बदल गई हो जैसे वह अपना भरण–पोशण करने योग्य हो गया हो या सिविल अदालत ने कोई ऐसा आदेष दिया हो जिसके कारण भत्ता आदेष वापस लेना या उसमें बदलाव करना अधिकरण जरूरी समझता हो।

प्रष्न : अधिकरण के आदेष की प्रति कैसे मिलेगी ?

उत्तर : अधिकरण भत्ता और सुनवाई में हुए खर्चों के आदेष की नकल मुक्त में माता–पिता को देगा।

प्रष्न : अगर संतान या नातेदार भरण–पोशण की निर्धारित धनराषि का भुगतान न करें तो?

उत्तर : तब अधिकरण अदालत के आदेष का पालन कराने के लिये फौजदारी अदालत के अधिकार प्रयोग करेगा।

प्रष्न : जब फौजदारी न्यायालय से भत्ता आदेष मिल सकता है तो भी क्या अधिकरण से भत्ता आदेष दिया जा सकता है? और क्या दोनों जगह से आदेष मिल सकता है?

उत्तर : नहीं। दो में से किसी एक स्थान से ही भत्ता लेने की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रष्न : भत्ते की रकम कब और कितने दिन में मिलेगी?

उत्तर : संतान या नातेदार को आदेष होते ही 30 दिन के भीतर रकम जमा करना पड़ेगी।

प्रष्नः रकम कहां जमा करना पड़ेगी?

उत्तरः जहां रकम देने या जमा करने के लिए आदेष में लिखा गया हो।

प्रष्नः मजिस्ट्रेट की अदालत में पहले से भत्ते के लिये आवेदन दे रखा हो तो?

उत्तरः अदालत से आवेदन वापस ले सकता है और अधिकरण में आवेदन लगा सकता है।

प्रष्न : क्या भत्ते की रकम पर ब्याज भी मिलती है?

उत्तर : हां आदेष की तारीख या उसके बाद की तारीख से ब्याज भी दिलाया जाता है?

प्रष्न : कितना ?

उत्तर : पांच फीसदी से कम नहीं और अठारह फीसदी से ज्यादा नहीं।

प्रष्न : क्या अधिकरण के आदेष पर अपील की जा सकती है?

उत्तर : हां, सरकार प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण भी बनाती है।

प्रष्न : अपील कितने दिन में कर सकते हैं?

उत्तर : अधिकरण के आदेष के साठ दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

प्रष्न : क्या साठ दिनों के बाद अपील नहीं सुनी जायेगी ?

उत्तर : अपील अधिकरण देरी के कारण से संतुश्ट होगा तो देरी क्षमा कर दी जायेगी।

प्रष्न : अपील होने पर संतान या नातेदार को भत्ता देना पड़ेगा ?

उत्तर : देना पड़ेगा। अपील सुनवाई और फैसला होने तक भी मासिक भत्ता देना पड़ेगा। हां अपील अधिकरण सुनवाई के बीच इसके लिये उचित निर्देष देगा लेकिन अपील एक महीनें में निपटाई जायेगी।

प्रष्न : क्या अपील के आदेष के ऊपर भी अपील हो सकती है?

उत्तर : नहीं, दूसरी अपील नहीं हो सकती है।

प्रष्न : क्या अधिकरण और अपील अधिकरण में वकील पैरवी करते है?

उत्तर : नहीं। दोनों जगह वकील पैरवी नहीं कर सकते। लेकिन मजिस्ट्रेट के यहां भरण–पोशण मामले में वकील लगते है ।

प्रष्न : माता–पिता या वरिश्ठ नागरिक अधिकरण में स्वयं पैरवी न कर पायें तो?

उत्तर : सरकार भरण–पोशण अधिकारी नियुक्त करती है। अगर आवेदन मांगे तो वह अधिकरण आवेदन की पैरवी करेगा।

3. वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिकार

प्रष्न : वृद्धों के लिये क्या कोई कल्याण की योजना है ?

उत्तर :

- बेसहारा बूढ़े लोगों के लिये हर एक जिले में एक वृद्धाश्रम गृह बनेगा।
- एक वृद्धाश्रम में डेढ़ सौ वरिश्ठ नागरिक रखे जा सकते हैं।
- वृद्धाश्रम बूढ़े लोगों के आसानी से पहुंचने योग्य स्थान में बनेगा।
- वृद्धाश्रम में वही रखे जा सकते हैं जिनका स्वयं का भरण–पोशण करने का साधन काफी नहीं है जो बहुत गरीब हैं।

प्रष्न : वृद्धावस्था गृह में क्या प्रबंध रहते हैं?

उत्तरः

- वहां बूढ़े लोगों के मनोरंजन के प्रबंध किये जायेंगे ताकि वे प्रसन्न रह सकें।
- यहां उनके स्वास्थ्य की देखभाल का भी उचित प्रबंध रहता है।

प्रष्न : क्या कोई वृद्ध अस्पताल में भरती किया जा सकता है?

उत्तर : हां, मर्ज बिगड़ गया हो या मौत की ओर ले जाने वाली कोई बीमारी हो जाये तो ऐसे वरिश्ठ नागरिकों के लिये सरकारी अस्पताल में और सरकारी सहायता से चलने वाले अस्पतालों में वरिश्ठ नागरिकों के पलंगों की एक कतार बनायी जाऐगी। जिससे वे आपस में बातचीत कर सकें। वृद्धावस्था के जो रोग होते हैं उनके विषेशज्ञ डॉक्टर देखभाल करेंगें।

प्रष्न : वरिश्ठ नागरिकों की संपत्ति की रक्षा कैसे होगी और उनके जीवन रक्षा के लिये क्या उपाय होंगे?

उत्तर : इस काम के लिये सरकारी अधिकारी, पुलिस और न्यायालय के अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। वे समय–समय पर देखेंगे कि वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण के काम में कोई

ढील या लापरवाही तो नहीं की जा रही है। उनके मामले समय से निपटाये जा रहे हैं या नहीं।

प्रष्नः वरिश्ठ नागरिकों, माता–पिता या बूढ़े लोगों को कैसे मालूम होगा कि उनके कल्याण के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

उत्तरः इन उपायों को पोस्टरों से, टीवी/दूरदर्षन तथा रेडियो पर प्रचार करके बताया जाता है और पर्चे बांटकर या अखबार वगैरह में भी प्रचार किया जाता है।

प्रष्नः अगर संतान/नातेदार संपत्ति अपने नाम लिखा ले तो?

उत्तरः अगर किसी वरिश्ठ नागरिक ने अपनी संतान या नातेदार के कहने में आकर अपनी संपत्ति उसके नाम इन षर्तों के साथ लिखा दी कि संतान या नातेदार उसे रोजाना जरूरत वाली सुविधायें देगा और उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। परन्तु बाद में वह संतान या नातेदार ऐसी सुविधाये नहीं देता या षरीर की जरूरतें पूरी नहीं करता है या इन्कार करता है तो कानून में यह माना जायेगा कि वरिश्ठ नागरिक से धोखाधड़ी करने या उससे दबाव में या धमकी देकर या अनुचित प्रभाव बनाकर संतान या नातेदार ने संपत्ति अपने नाम लिखा ली थी।

प्रष्नः तो क्या वरिश्ठ नागरिक को संपत्ति वापस मिल सकती है?

उत्तरः हां, अगर वह चाहे तो संपत्ति से संतान या नातेदारी का नाम खारिज हो सकता है।

प्रष्नः अगर वरिश्ठ नागरिक को किसी जायदाद से भरण–पोशण पाने का अधिकार है और वह जायदाद किसी और के नाम कर दी जाती है तो?

उत्तरः जिसको जायदाद मिली है उससे भी वरिश्ठ नागरिक को उससे भरण–पोशण का अधिकार रहेगा। लेकिन यह तभी होगा जब जायदाद पाने वाले को यह जानकारी थी कि उस संपत्ति से भरण–पोशण किया जाना था या उसे संपत्ति कृपा करके दी गई हो। अगर संपत्ति पाने वाले ने रकम देकर संपत्ति ली है और लेने वाले को यह जानकारी नहीं थी कि संपत्ति

से भरण–पोशण का अधिकार है तो वरिश्ठ नागरिक को संपत्ति लेने वाले से भरण–पोशण पाने का अधिकार नहीं होगा।

प्रष्नः अगर वरिश्ठ नागरिक अपना अधिकार लागू कराने की क्षमता नहीं रखता और अपना अधिकार लागू कराना चाहता है तो कैसे करा पायेगा?

उत्तरः तब कोई संगठन उसकी ओर से कार्यवाही कर सकता है।

प्रष्नः यदि कोई संतान या नातेदार माता–पिता या वरिश्ठ नागरिक की देखरेख करना छोड़ दे या उसका संरक्षण करना छोड़ दे और वरिश्ठ नागरिक से पल्ला छुड़ाने के इरादे से उसे किसी स्थान में छोड़ आये तो? क्या ऐसे नातेदार या संतान को कोई सजा नहीं मिलनी चाहियें?

उत्तरः सजा मिल सकती है। माता–पिता और वरिश्ठ नागरिकों का भरण–पोशण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 24 के अनुसार ऐसे नातेदार या संतान को तीन महीने तक की जेल की सजा हो सकती है।

प्रष्नः क्या जुर्माना भी होता है?

उत्तरः हां, जेल या पांच हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है या जेल और जुर्माना दोनों हो सकतें हैं।

प्रष्नः यह मामला कहां चलेगा? क्या इसमें जमानत हो जाती है?

उत्तरः मामला तो मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा और पुलिस भी चालान कर सकती है लेकिन ऐसे हर मामले में जमानत हो जाती है।

प्रष्नः ऐसा मामला तो लंबा चलता होगा?

उत्तरः नहीं, मजिस्ट्रेट को बहुत कम समय में थोड़ी सुनवाई करके फैसला देना पड़ता है।

4– वद्धावस्था पेंषन योजना

प्रष्नः वृद्धावस्था पेंषन योजना क्या है?

उत्तरः यह योजना सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती है।

प्रष्नः इस योजना का क्या उद्देष्य है?

उत्तरः बेसहारा लोगों के जीवन–यापन के लिये रूपयों पैसों से मदद करना।

प्रष्नः यह पेंषन कैसे मिलता है?

उत्तरः हितग्राही/लाभार्थी को अपने निवास के क्षेत्र की ग्राम पंचायत में आवेदन देना पड़ता है।

प्रष्नः और षहरी बूढ़े लोग कहां आवेदन दें?

उत्तर नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में जहां के क्षेत्र में रहते हैं? वहां आवेदन कर सकते हैं।

प्रष्नः क्या आवेदन फार्म की फीस लगती है?

उत्तरः नहीं, मुफ्त में मिलता है।

प्रष्नः हितग्राही/लाभार्थी को कौन चुनता है?

उत्तरः ग्राम सभा गांवों में और नगर की संस्था षहरों में हितग्राही/लाभार्थी चुनती है।

प्रष्नः ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन पत्र का निपटारा कौन करता है?

उत्तरः ग्राम पंचायत या ग्राम सभा आवेदन पत्र की जांच करके सात दिन में अपनी सिफारिष के साथ जनपद पंचायत को भेजती है।

प्रष्नः तब जनपद पंचायत क्या करती है?

उत्तरः अपनी बैठकों में ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करती है और साठ दिन के भीतर पेंषन को स्वीकार या अस्वीकार करती है।

प्रष्नः क्या बेसहारा विधवा या पति द्वारा छोड़ी गई बूढ़ी स्त्रियों को भी सहायता मिलती है?

उत्तरः हां, लेकिन ऐसी महिलाओं के आवेदन पत्र जनपद पंचायत या नगर की संस्था जिला समिति को भेज देती है। जिला समितियां, कलेक्टर जिला पंचायत के सी.ई.ओ. और पंचायत तथा सामाजिक न्याय के संयुक्त या उप संचालक बैठक करके पेंषन स्वीकार या अस्वीकार करते हैं।

प्रष्न : पेंषन कितने रूपया महीना निर्धारित की जाती है?

उत्तरः लाभार्थी को एक सौ पचास रूपया महीना से कम पेंषन नहीं मिलती है।

प्रष्नः पेषन की रकम कैसे मिलती है

उत्तरः पेषन की रकम जमा करने के लिये हितग्राही/लाभार्थी के नाम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जाता है फिर रकम खाते में जमा कर दी जाती है। खातेदार उस रकम को निकाल सकता है।

प्रष्न : क्या पेंषन का मनिआर्डर नहीं भेजा जा सकता है?

उत्तर : मनिआर्डर से भी भेजी जा सकती है।

प्रष्नः क्या जनपद पंचायत या षहरी संस्था के आदेष के विरूद्व कोई सुनवाई नहीं होती है?

उत्तरः होती है, आवेदक स्वयं या ग्राम पंचायत या जिसका मामलें में हित हो, उपखण्ड/अनुविभाग के अधिकारी (राजस्व) को षिकायत कर सकता है।

प्रष्न : अनुविभागीय अधिकारी कैसे निपटारा करते हैं?

उत्तरः वह जांच करके योग्य आवेदक को पेंषन स्वीकार कर सकते हैं या अनुचित रूप से दिलाई गयी पेंषन को समाप्त कर सकते हैं।

प्रष्न : क्या कोई स्वयं इस बात की जांच और देख–रेख करता है कि पेंषन सही स्वीकार की जा रही है या पेंषन अनुचित रूप से अस्वीकार की गई है?

उत्तरः हां, इसके लिये हर एक उपखण्ड/अनुविभाग में बनाई गई है। अनुविभागीय अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका एक सदस्य उपसंचालक पंचायत और समाजिक न्याय या उनके द्वारा चुना गया अधिकारी होता है और एक प्रतिनिधि जनपद पंचायत या षहरी संस्था से होता है।

प्रष्नःयह समिति क्या करती है?

उत्तरः यह समिति पेंषन बंद भी करा सकती है।

प्रष्नः क्या यह समिति पेंषन बंद भी करा सकती है?

उत्तरः हां, अगर अपात्र हितग्राही या अयोग्य लाभार्थी को पेंषन स्वीकृत की गई हो, तो यह समिति पेंषन बंद करा सकती है। व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज में विविध जाति, वर्ग और आयु के सभी बच्चे, युवक, बूढ़े, महिला, पुरूश षामिल हैं। समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ और प्रसन्न रखकर ही एक विकसित समाज की बुनियाद रखी जा सकती है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील

विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी ..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ°–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ°(जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नषीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार

25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिश्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 षिक्षा का अधिकार– निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,

2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,

3– सभी महिलायें एवं बच्चे,

4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8– भूतपूर्व सैनिक,

9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

10– वरिष्ठ नागरिक,

11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/– से कम हो।

नोट :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल